

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2149 / 2023

दिनांक : 25.07.2023

सुश्री रंजना सर्राफ (RJ00403), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

1. दिनांक 20.04.2023 से 23.04.2023 तक 04 दिनों का *उपार्जित* अवकाश।
2. दिनांक 24.04.2023 से 29.04.2023 तक 06 दिनों का *परावर्तित* अवकाश
दिनांक 30.04.2023 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

सुश्री सर्राफ की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ने आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/36/2002/4670

दिनांक 25.07.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक को उनके पत्रांक 191/213/242 दिनांक 09.06.2023/04.07.2023/14.07.2023 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री रंजना सर्राफ (RJ00403), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।

25.7.2023
सहायक रजिस्ट्रार